विचार बिन्दु

बच्चों को शिक्षा के साथ यह भी सिखाया जाना चाहिए कि वह मात्र एक व्यक्ति नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र की थाती हैं। –स्वामी रामदेव

मोबाइल से बढ़ता मानसिक बीमारियों का खतरा

आज के दौर में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम उनकी मानसिक सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बच्चे चिडचिडे, गुस्सैल और ध्यान भटकाने वाले बनते जा रहे हैं। एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था सेपियनलैब्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़, कम उम्र में जब बच्चों को स्मार्टफ़ोन दिए जाते हैं तो युवावस्था आते-आते उनके दिमाग़ पर विपरीत असर दिखने लगता है। यह रिपोर्ट 40 देशों के 2,76,969 युवाओं से बातचीत करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफ़ोन दिए गए, उनमें आत्महत्या के विचार, दूसरों के प्रति ग़ुस्सा, सच्चाई से दूर रहना और हेलोसिनेशन होना शामिल है। लीलावती अस्पताल, मुंबई के मनोचिकित्सक डॉ. शोरुक मोटवानी बताते हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम, ट्रॉमा और हिंसा देखने से बच्चों में आक्रामकता, डिप्रेशन और चिंता विकार बढ़ रहे हैं। वहीं, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. समीरा एस राव का कहना है कि स्क्रीन टाइम अधिक होने से बच्चों का मूडस्विंग्स, सिरदर्द और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

भारत में कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के बेज़ा इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग अब जोर शोर से उठने लगी है। भारत सरकार ने भी देर आये दुरस्त आये अब सोशल मीडिया के बेज़ा इस्तेमाल से बच्चों को बचाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आर्थिक सर्वे में इस पर भारी चिंता व्यक्त की गई थी। इसका अनुसरण करते हुए सरकार न्यूनत आयु तय करने का विचार कर रही है। आंकडों को देखे तो देश में 14-16 आयु वर्ग के 82 प्रतिशत बच्चे इस समय स्मार्ट फोन के समुद्र में डूबे हुए है। यह एक गंभीरतम स्थिति है।

आज घर घर में बच्चे और युवा धड़ल्ले से मोबाइल पर स्क्रीनिंग कर रहे है। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है की यह उनके स्वास्थ्य और पढाई के लिए कितना खतरनाक है। मीडिया में छोटे और किशोर आयु के बच्चों को मोबाइल लत के खतरे से लगातार आगाह किया जा रहा है। अनेक बच्चे इसके दुष्परिणामों के शिकार होकर अस्पतालों में अवसाद का इलाज़ करा रहे है। सेंसर टावर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अपने देश में गत वर्ष मोबाइल पर 1.12 ट्रिलियन घंटे स्क्रीनिंग की गई जो दुनियाभर में सर्वाधिक आंकी गई है। इससे पता चलता है 18 वर्ष की आयु सीमा के 40 करोड़ बच्चे में से हर तीसरा बच्चा मोबाइल अवसाद का शिकार है, जिनकी संख्या 13 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। इसी भांति एक अन्य नई रिसर्च के मुताबिक मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप जैसे गैजेट्स न केवल बच्चों के स्वास्थ्य अपितु उनके शैक्षिक जीवन के लिए भी खतरा बन रहे है।

एक वैश्विक गैर सरकारी संस्था सेपियनलैब्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़, कम उम्र में जब बच्चों को स्मार्टफ़ोन दिए जाते हैं तो युवावस्था आते-आते उनके दिमाग़ पर विपरीत असर दिखने लगता है। यह रिपोर्ट 40 देशों के 2,76,969 युवाओं से बातचीत करके तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफ़ोन दिए गए, उनमें आत्महत्या के विचार, दूसरों के प्रति ग़ुस्सा, सच्चाई से दूर रहना और हेलोसिनेशन होना शामिल है।

टेक्नोलॉजी के इस दौर में बच्चे मोबाइल फोन, टैबलेट से ही अपनी पढाई कर रहे हैं। खासकर कोविड में ऑनलाइन पढाई के बाद उनके बीच स्क्रीन टाइम बहुत बढा है। पांच हजार से ज्यादा कनाडाई बच्चों पर साल 2008 से 2023 तक चली एक रिसर्च बताती हैं कि बढते स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों में बेसिक मैथ्स और पढने की समझ ठीक से विकसित नहीं हो पा रही है। यहां तक कि स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों के मार्क्स में 10 फीसदी तक कमी आई है। एक अन्य रिपोर्ट में यह सामने आया है कि 73 प्रतिशत स्कूली बच्चे अश्लील सामग्री देखते हैं। वहीं, 80 प्रतिशत बच्चे रोज़ाना सोशल मीडिया पर कम से कम 2 घंटे बिताते हैं। इसका सीधा असर उनकी पढाई, सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहार पर पड रहा है। मोबाइल आपका दोस्त है या दुश्मन। बिना विलंब किए इस पर गहनता से मंथन की जरुरत है। आजकल मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है। एक स्टडी रिपोर्ट में एक बार फिर मोबाइल के खतरे से सावचेत किया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है पैरेंट्स बिना सोचे-समझे सिर्फ दो-ढाई साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। इसके बाद बिना मोबाइल यूज किए बच्चा खाना तक नहीं खाता है। हालांकि इंफॉर्मेशन, टेक्नॉलोजी और एआई के दौर में मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी है। लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? अगर आप भी मोबाइल एडिक्शन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो आपको बता दें कि सेलफोन आपके बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। कच्ची उम्र में बच्चों को डिजिटल डिमेंशिया जैसी घातक बीमारी हो सकती है। टाइम ज्यादा होने का सबसे पहला असर बच्चों की आंखों की रोशनी पर पड रहा है। स्क्रीन को नजदीक और एकटक देखने से आंखें ड्राई होने लगती हैं यही हालात रहने पर आंखों की रोशनी कम होने लगती है। मोबाइल बच्चों का दोस्त है या दुश्मन। बिना विलंब किए अभिभावकों को इस पर गहनता से मंथन की जरुरत है।

जब से इंटरनेट हमारे जीवन में आया है तबसे बच्चे से बुजुर्ग तक आभासी दुनियां में खो गए है। हम यहाँ बचपन की बात करना चाहते है। देखा जाता है पांच साल का बच्चा भी आँख खोलते ही मोबाइल पर लपकता है। पहले बड़े इसे अपने काम के लिए करते थे। अब बच्चे भी इंटरनेट के शौकीन होते जा रहे हैं। बाजार ने उनके लिए भी इंटरनेट पर इतना कुछ दे दिया है कि वह पढने के अलावा बहुत कुछ इंटरनेट पर करते रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और समय रहते उनकी ऐसी आदत को पॉजेटिव तरीके से दूर करना चाहिए।

–अतिथि संपादक,
बालमुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

तथाकथित सभ्य व जागरुक समाज में महिला पहलवानों के प्रति इतनी अनअपेक्षित बेरुखी क्यो?

महावीर सिंह

बहुत से लोगों को 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ हुई विभत्स घटना याद होगी। दिल्ली में आम लोगों नें, मीडिया नें, विभिन्न नागरिक-युवा संगठनों नें इतने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया कि परिणाम स्वरूप उस लड़की को बढ़िया से बढ़िया इलाज उपलब्ध करवाया गया। त्वरित गति से मुक़दम्मा दर्ज हुआ, शीघ्रता व सावधानी पूर्वक मुक्कमल जांच पूरी हुई और दोषियों को सख्त सजा मिली।

इस घटना नें, अपवादस्वरूप ही सही दिल्ली के सत्तासीनों के जमीर को भी हिला कर रख दिया। परिणाम स्वरूप जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में इस घटना के परिपेक्ष में महिला के साथ होने वाली इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे, इसलिए कानूनों का पुनरावलोकन भी करवाया, सुझाव मंगवाए और परिणाम स्वरूप महिलाओं के साथ आपराधिक छेड़छाड़ दुर्व्यवहार से सम्बंधीत कानूनों पर नए दृष्टिकोणों से विचार व परिवर्तन शुरू हुए।

मुख्य बात यह है कि उद्वेलित जनमानस के दबाव के चलते यह सब सम्भव हुआ।

इस घटना के विपरीत, महिला पहलवानों के साथ हुई सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटना के जो आरोप लगाए गए उन पर विचार करें।

चूंकि इस मामले में आरोप कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली-धनबली सांसद है, उनके विरुद्ध लगे है, इसलिए, सबसे पहले तो खेल मंत्रालय नें, पहलवानों द्वारा ज्ञापन देने, विरोध प्रकट करने के बावजूद, इस घटना को पर्याप्त गम्भीरता व त्वरितता से नहीं लिया।

परिणाम स्वरूप पहलवानों को दुबारा, संसद से 800-900 मीटर दूर पुन: धरने पर बैठना पड़ा।

फिर भी सत्ताधीशों के कानून पर जूं तक नहीं रेंगी। 21 अप्रैल 23 को थाने में कम्प्लेंट दर्ज कराने पर भी दर्ज नहीं हुई तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की दखल पर ही 28 अप्रैल को दर्ज हुई। यह सम्पूर्ण सरकारी सिस्टम और हम सब लोगों के लिए लज्जाजनक है कि नागरिकों को दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े।

यह मामला तो ख्याति प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता महिला पहलवानों का है, जो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी व्यथा पहुंचा सकी।

कल्पना करें जब आम आदमी के साथ ऐसी बेरुखी सिस्टम की हो (जो सामान्य बात हो चली) तो क्या वह सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकता है?

छोड़िए कि इन आरोप-प्रत्यारोपों में कोन सही कोन गलत है, छोड़िये स्तरहीन व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी से शिक्षित होने वाले टुच्चों को किन्तु, दुखद है कि अपवाद स्वरूप कुछ चुनिंदा पत्रकार-टीवी चैनल्स को छोड़ें तो कई पत्रकार, टीवी चैनल्स तो आरोपी के पक्ष में पूरे मामले को जातीय, राजनीति प्रेरित, तथाकथित सन्तो के समर्थन का रंग देने में कसर नहीं छोड़ा रहे, क्यों? एक अखबार की न्यूज के अनुसार तो आरोपी विभिन्न सनगठनों के दबाव से पोक्सो कानून बदलवाने की बात करता है। ऐसे बयानों पर सरकार-पुलिस-सत्ताधारी दल के राजनेताओं, नागरिक संगठनों की चुप्पी अच्छा संकेत नहीं।

गनीमत है कि इस बाहुबली द्वारा 5 जून को जो जनचेतना रैली की घोषणा कर रखी थी, जिसमें संतों को भी शामिल करने की असफल प्रयास हुए, को अब निरस्त कर दिया है। एक शुभ संकेत।

अगर कुछ राजनीतिक दलों, नागरिक संगठनों के नेता, किसान-ग्रामीण संगठनों के नेता, त्वरित, निष्पक्ष जांच की आवाज उठाने, पहलवानों से मिलने जंतर मंतर चले गए तो उसमें क्या राजनीति हुई? कोई यह तो कह नही रहा कि जो कुछ पहलवान कह रहे है, उसे ही सही मान लिया जाए।

क्या कुछ नेता, कुछ प्रतिगामी संगठन यह चाहते हैं कि इन महिला पहलवानों की व्यथा को कहीं से कोई समर्थन नहीं मिले और ऐसा क्यों, ओर क्या यह सम्पूर्ण समाज के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है??

सब से दुखद यह है कि सत्ताधारी दल के बड़े नेता-पदाधिकारी खुल कर यह मांग भी नहीं कर पा रहे कि इस मामले में जल्दी से जल्दी न्यायपूर्ण जांच हो।

क्या पोक्सो एक्ट के दूसरे आरोपियों को इतनी छूट मिलते पढा-सुना ??

नीचता और धृष्टता की बानगी देखिए- किस किस प्रकार के प्रश्न उछाले जा रहे है--

मामला इतने दिनों बाद कैसे रिपोर्ट किया? पहलवानों के पास क्या प्रमाण है, बताए, जैसे कि जांच अधिकारी वे ही है?

कोई वीडियो या ओरल रिकार्डिंग हो तो बताएं? क्या कहा जाए इन बुद्धिहीनों के सवालों पर?यह बात तो उनके तभी समझ आए जब, दुर्भाग्यवस और ईश्वर न करे ऐसा हो किन्तु उनके किसी परिवार जन के साथ कोई ऐसी घटना घटित हो।

किसी महिला के साथ ज्यादती होगी तो वह पहले, उस राक्षस से यह कहेगी कि जरा रुकना, पहले मैं वीडियो रिकार्डिंग ओन कर देती हूं!!!

जैसा हमारा समाज है, एक महिला के लिए इस प्रकार की घटना को सार्वजनिक करना, लगभग असंभव है। उसके परिवार और उस महिला को भविष्य में होसकने वाली हजार बातें सोचनी पड़ती है। सरकारी सिस्टम भरोसे लाइक हो, परिवार और नागरिक संगठनों का साथ मीले और महिला में अदम्य साहस हो तभी वह खुल कर ऐसी घटनाओं को प्रकाश में लाएगी।क्या आप इसे नहीं मानते??? मीडिया वालों नें यह बयान तो छाप व बोल दिया कि नाबालिग महिला के किसी चाचा-ताऊ का कहना है कि वह बालिग है किंतु उसके पिता नें तो स्वयं एफआईआर दर्ज कराई है,उस से से पूछने की जहमत तक नहीं उठाते? घटना के वक्त की स्थिति देखनी है या वर्तमान उम्र देखनी है? अगर 28 मई को पुलिस पहलवानों व समर्थक जनता को संसद भवन तक मार्च की अनुमति नहीं देना चाहती थी तो बात समझ में आ सकती है किन्तु उनके धरना स्थल को क्यों तहस नहस किया? उनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया? लगता है चाकरों में मालिक को वफादारी दिखाने के लिए किसी हद तक जाने की होड़ मची है??? एक वार्त्ता में एक महिला पुलिस अधिकारी नें जनता के बीच, यह कहा कि 28 मई को लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है, डिटेन किया है,कोई मुकद्दमा दर्ज नही हुआ है। तो फिर इनके विरुद्ध संगीन जुर्म वाली धाराओं में मुक़द्दमानकयों दर्ज और अगर जुर्म इतना ही संगीन तो फिर छोड़ा क्यों???

मंत्री कह रहे है, पहलवान जांच कार्यवाही में विश्वास रखें, नेक सलाह किन्तु जांच बिना समय सीमा के मंथर गति से,क्यों??? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने के कितने दिन बाद पुलिस नें बयान दर्ज किए, कितने दिन बाद धारा 164 फ्रैंड्ग के बयान दर्ज हुए, कितने दिन बाद गठित हुई--क्या यह विश्वास बढाते है??

क्या सामान्यत: पोक्सो एक्ट में दर्ज मामलों में पुलिस ऐसे ही कार्यवाही करती है--क्या जिस व्यक्ति के विरुद्ध नाबालिग से योन शोषण सम्बन्धी गम्भीर आरोप हों, उनके साथ पुलिस इसी तरह पेश आती है? उसे घूम-घूम कर प्रेस के माध्यम से अपनी पैरवी करने की छूट देती है, अन्य लोगों से भावनात्मक आधार पर समर्थन मांगने या प्रभावित करने की छूट देती है?? मंत्री जी से अंतिम प्रश्न--जैसे अन्य पोक्सो आरोपियों से साक्ष्य एक्टर करने के लिए जांच होती है, वैसी इस मामले में क्यों नही?? और अब सुनेन्वेक ठेठ ग्रामीण की टिप्पणी--क्यों जी, राहुल गांधी नें 4 साल पहले किसी सभा में एक टिप्पणी कर दी, उस पर तो उसकी सदस्यता खत्म, बंगला भी छीन गया, यह कोन ऐसा महाबली है कि सारी सत्तासीन जमात चुप है? एक थोड़े पढ़े-लिखे नें समझाने की कोशिश कि दोनों अलग अलग मामले हैं। बात उसके गले नहीं उतरी, वह बोला में तो केवल यह कह रहा हूँ सरकार सुनती है, मन भाती बात। राहुल के केस का पीछा नहीं किया जाता तो वह भी एमपी रहता किन्तु उसका मामला मन भाता नहीं था। इस बाहुबली के मामले में न बोलना मन भाती बात है। है न यह फर्क??

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ओरोविल, संविधान और राष्ट्रीय शिक्षानीति 2020

सूर्यप्रतापसिंह राजावत

21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस तारीख के पीछे एक इतिहास है। ऐतिहासिक महत्व यह है कि बांग्लादेश धर्म के आधार पर बनाया गया था, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने उर्दू को भाषा के तौर पर थोपने का विरोध किया। उन्होंने बंगाली भाषा की मांग की और आखिरकार बंगाली को उस देश की दूसरीराष्ट्र भाषा बनाने में जीत हासिल की। इस संघर्ष के दौरान बंगालियों ने दर्जनों लोगों को खो दिया। यूनाइटेड नेशंस ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है, ताकि बांग्लादेशियों के अपनी मातृभाषा के लिए किए गए बलिदान को याद किया जा सके। इसे 1999 के यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस में मंज़ूरी दी गई थी और 2000 से यह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है।

21 फरवरी श्री अरविन्द की आध्यात्मिक सहयोगी, श्रीमाँ के जन्मदिन की भी याद दिलाता है। उनके सपनों के प्रोजेक्ट को ऑरोविल-उषानगरीके रूप में जाना जाता है। ऑरोविल को 1966, 1968, 1970, 1983, 2007 में यूनेस्को के आम सम्मेलन का समर्थन प्राप्त हुआ है। ऑरोविल को अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में भी जाना जाता है जहाँ 30 से अधिक देशो के लोग एक साथ रहते हैं। ऑरोविल के निवासी अतिमानसिक योग का अभ्यास करते हैं। अतिमानसिक योग रूपांतरण से संबंधित है। श्रीअरविन्द के अनुसार मानव विकासवादी प्रक्रिया में संक्रमणकालीन चरण से संबंधित है। मनुष्य अंतिम रचना नहीं है, मनुष्य के बाद सुपरमेंटल शक्ति का आविर्भाव होगा। श्री माँ के निम्नलिखित शब्द ऑरोविले के उद्देश्य और लक्ष्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं - हम किसी पंथ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। हम किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं लड़ते हम बँटवारे, बेहोशी, अज्ञानता, जड़ता और झूठ से लड़ रहे हैं। हम धरती पर एकता, ज्ञान, चेतना, सत्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उन सभी चीज़ों से लड़ते हैं जो प्रकाश, शांति, सत्य और प्रेम की इस नई रचना के आने का विरोध करती हैं। ऑरोविल अपनी एक खास बात के लिए भी जाना जाता है कि यहां लोगों के बीच पैसे का लेन-देन नहीं होता। 28 फरवरी, 1968 को, ऑरोविल के चार्टर को फ्रेंच में पढ़ा गया। इसके बाद, चार्टर को 16 भाषाओं में इस क्रम में पढ़ा गया: तमिल, संस्कृत, इंग्लिश, अरबी, चीनी, रशियन, स्पैनिश, स्वीडिश और तिब्बती। भारत के संविधान का पार्ट सात ऑफिशियल भाषा से जुड़ा है, जिसे चैप्टर एक में बांटा गया है, जो यूनियन -संघ की भाषा से जुा है। चैप्टर दो क्षेत्रीय-रीजनल भाषाओं से जुड़ा है। चैप्टर तीन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह की भाषा से जुड़ा है। चैप्टर चार भाषा से जुड़े खास निर्देशों से जुड़ा है। भारत के संविधान के शेड्यूल आठ में 22 भाषाओं की लिस्ट है जो मल्टीलिंगुअलिज़्म दिखाती हैं। यह जानना दिलचस्प है कि सातवां संशोधन अनुछेद 350ए प्राइमरी लेवल पर मातृभाषा में पढाई की सुविधा देता है।यह बताना ज़रूरी है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए आर्टिकल 351 के तहत एक खास निर्देश है कि जहाँ भी वोकैबुलरी के लिए ज़रूरी या ज़रूरी हो, उसे संस्कृत से लिया जाना चाहिए।

दुनिया भर में हुई साइंटिफिक स्टडीज़ से पता चला है कि बच्चे के विकास में मातृभाषा बहुत ज़रूरी भूमिका निभाती है। इसलिए, इस खास पहलू को बाद में संविधान सभा ने सराहा और यही बात भारत के संविधान में भी दिखाई देती है, यहाँ तक कि मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 (एनइपी 2020) भी इसी का सपोर्ट करती है। एनइपी 2020 इस बात पर चिंता जताती है कि भारतीय भाषाओं पर सही ध्यान और देखभाल नहीं दी गई है, अकेले पिछले 50 सालों में देश ने 220 से ज़्यादा भाषाएँ खो दी हैं। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को खतरे में घोषित किया है। कई बिना लिखी हुई भाषाएँ खास तौर पर खत्म होने के खतरे में हैं। जब ऐसी भाषाएँ बोलने वाले किसी कबीले या समुदाय के बड़े सदस्य गुज़र जाते हैं, तो ये भाषाएँ अक्सर उनके साथ खत्म हो जाती हैं। इन समृद्ध भाषाओं/संस्कृति के भावों को बचाने या रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कदम या उपाय नहीं किए जाते हैं। एनइपी 2020 में कहा गया है कि भारत की वे भाषाएँ भी जो ऑफिशियली ऐसी खतरे वाली लिस्ट में नहीं हैं, जैसे कि भारत के संविधान के आठवें शेड्यूल की 22 भाषाएँ, कई मोर्चों पर गंभीर मुश्किलों का सामना कर रही हैं। भारतीय भाषाओं को पढ़ाने और सीखने को हर लेवल पर स्कूल और हायर एजुकेशन के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। भाषाओं को रेलिवेंट और वाइब्रेंट बनाए रखने के लिए, इन भाषाओं में टेक्स्टबुक, वर्कबुक, वीडियो, नाटक, कविताएँ, नॉवेल, मैगज़ीन वगैरह सहित हाई-क्वालिटी लर्निंग और प्रिंट मटीरियल की एक रेगुलर स्ट्रीम होनी चाहिए। भाषाओं की वोकैबुलरी और डिक्शनरी में भी लगातार ऑफिशियल अपडेट होने चाहिए, जो बड़े पैमाने पर फैले, ताकि इन भाषाओं में सबसे नए मुद्दों और कॉन्सेप्ट पर असरदार तरीके से चर्चा की जा सके। दुनिया भर के देश इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियन और जापानी जैसी भाषाओं के लिए ऐसे लर्निंग मटीरियल, प्रिंट मटीरियल और दुनिया की भाषाओं से ज़रूरी मटीरियल का ट्रांसलेशन, और वोकैबुलरी को लगातार अपडेट करने का काम कर रहे हैं। हालाँकि, भारत अपनी भाषाओं को पूरी ईमानदारी के साथ सबसे अच्छे तरीके से वाइब्रेंट और करेंट रखने में मदद करने के लिए ऐसे लर्निंग और प्रिंट मटीरियल और डिक्शनरी बनाने में काफी धीमा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मल्टीलिंगुअलिज़्म को बढ़ावा देने के लिए तीन-भाषा फ़ॉर्मूले को जल्दी लागू करने, जहाँ तक हो सके घर/लोकल भाषा में पढ़ाने, और ज़्यादा एक्सपीरिएंशियल भाषा सीखने का इंतज़ाम किया गया है।

–सूर्यप्रतापसिंह राजावत,
सचिव, श्री अरविन्द
सोसाइटी राजस्थान

राशिफल शनिवार 21 फरवरी, 2026

पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, चतुरथी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, रेवती नक्षत्र सायं 7:07 तक, शुभ योग दिन 3:51 तक, विष्टि करण दिन 1:01 तक, चन्द्रमा आज सायं 7:07 से मेष राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग सायं 7:07 तक है। भद्रा दिन 1:01 तक रहेगी। आज विनायक चतुरथी है। पंचक सायं 7:07 पर समाप्त होंगे। आज महापात योग प्रात: 8:05 से दिन 12:02 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:27 से 9:52 तक, चर 12:41 से 2:05 तक, लाभ-अमृत 2:05 से 4:54 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 7:03, सूर्यास्त 6:18

मेष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। आज मन में असंतोष बना रहेगा।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

धनु
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कन्या
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कुंभ
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

वृश्चिक
व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन व्यावसायिक योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

विश्व मातृभाषा दिवस-2026

समृद्ध और समर्थ राजस्थानी भाषा को कब मिलेगा मान्यता का सम्मान

राजेन्द्र जोशी

विश्व मातृभाषा दिवस मतलब की मातृभाषाओं को पल्लवित और पोषित करने का समय माना जाता है । इस दिन विश्वभर की मातृ भाषाओं के ही हिमायती अपनी-अपनी मातृभाषा को समर्थ सार्थक करने का प्रयास करते हैं। सभी मातृभाषाएं सांस्कृतिक महत्व और संस्कृति के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

भाषाओं को पोषित करने का काम संबंधित सरकारों का रहता हैं।

हम राजस्थानी समुदाय के लोग राजस्थानी भाषा को जीते हैं और संकल्पित होकर भाषाई दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं।

भाषा व्यक्ति की पहचान होती है। भाषा और संस्कृति व्यक्ति को बनाने का काम करती है। और यह भी सत्य है कि बड़ी भाषाओं की बोलियां भी अधिक होती है,यह भाषा की खूबसूरती है कि राजस्थानी भाषा की बोलियों की संख्या भी कम नहीं है। हिंदुस्तान में प्रत्येक प्रदेश की अपनी भाषा है और लगभग वह भाषा प्रदेश तक सीमित है लेकिन राजस्थानी भाषा ऐसी भाषा है जो दुनिया भर में अपना मुकाम बनाए हुए हैं।

दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां राजस्थानी भाषा नहीं बोली जाती। हम जानते हैं कि दुनिया भर में अपना व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से फैले हुए मारवाड़ी राजस्थानी ही बोलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 12 करोड लोगो के बोलचाल की भाषा राजस्थानी भाषा हैं।

विश्व मातृभाषा दिवस जब दुनिया भर के लोग बड़ी खुशी हंसी-खुशी से मना रहे हैं और भाषा का मान बढ़ाते हैं। परंतु राजस्थानी भाषा के लोग यह दिवस उदासी भरे माहौल में आठाह मान मनवार और विरोध स्वरूप बनाते हैं।

दुर्भाग्य इस बात का है की राजस्थानी भाषा को आज भी आजादी के साढे सात दशक बाद भी केंद्र सरकार राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल नहीं कर पाई है।

राजस्थानी भाषा समृद्ध भाषा है, इसका विपुल साहित्य भंडार है, यह करोड़ों लोगों की कंठहार है, विश्वकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर महामना मदनमोहन मालवीय, इतालवी विद्वान डा.एल.पी. टैस्सीटोरी, सुप्रसिद्ध भाषाविद् डॉ. सुनीति कुमार चाटुर्जा सहित विश्व के ख्यातनाम विद्वानों ने राजस्थानी भाषा एवं इसके समुन्नत समृद्ध साहित्य की प्रशंसा की है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता हेतु राजस्थान विधान सभा में लिए गए सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव वर्ष 2003 में केन्द्र सरकार को प्रेषित किया जा चुका है किन्तु अब तक राजस्थानी भाषा अपनी संवैधानिक मान्यता हेतु प्रतीक्षारत है।

राजस्थानी भाषा को 8 वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वर्षों से सम्पूर्ण राजस्थानियों द्वारा प्रदेश व प्रवास से जोर-शोर से उठाई जाती रही है।

जनगणना 2011 में भी राजस्थान के 4 करोड 83 लाख लोगों ने अपनी मातृ भाषा राजस्थानी दर्ज करवाई है। प्रवासी राजस्थानियों की संख्या भी कम नहीं है। घूमर लोकनृत्य को दुनिया के टॉप 10 स्थान मिलना, कालबेलिया नृत्य को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया जाना, प्रधानमंत्री जी के जापान दौरे में विदेशी कलाकारों ने भी राजस्थानी लोक गीत की प्रस्तुती, अमेरिका की लाईब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा राजस्थानी दुनिया की तेरह समृद्धतम भाषाओं में शुमार किया जाना, अमेरिका की शिकागो, रूस की मास्को, लंदन की कैंब्रिज के समान श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में राजस्थानी का अध्ययन-अध्यापन, अमेरिका सरकार की नौकरियों के लिए राजस्थानी को मान्यता दिए जाने सहित कई ऐसे प्रमाण हैं जो राजस्थानी को समृद्ध और बड़े समुदाय की भाषा ठहराते हैं।

विश्व मातृभाषा दिवस पर हम विनम्र अनुरोध करते है कि राजस्थानी भाषा की मान्यता हेतु केन्द्र सरकार शीघ्र निर्णय ले कर राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलवाएं।

मुक्ति संस्था,बीकानेर द्वारा एक दशक पहले नवंबर 2016 में प्रारंभ की गई राजस्थानी भाषा मान्यता संकल्प यात्रा के दौरान यह तथ्य भी सामने आए जब बंगाल, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में भाषा मान्यता संकल्प यात्रा लोगों से रूबरू हुई। हजारों लोगों ने गत एक दशक से राजस्थानी भाषा मान्यता के पक्ष में हस्ताक्षर कर समर्थन देते हुए केंद्र सरकार से इस भाषा को मान्यता देने की मांग रखी। मुक्ति संस्था बीकानेर द्वारा भाषा मान्यता आंदोलन सतत रूप से जारी है।

राजस्थान-राजस्थानियों को विश्वास है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का पुनित एवं ऐतिहासिक काम केन्द्